संख्या-24/2018/2500/22-2-2017-17(122)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान-शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34587/प्रोबे0-5-दयायाचिका/810 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, जो ग्राम-बरनावी, थाना-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान-शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गांव में चल रही पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, तमन्चा, कुल्हाडी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149, 452, 147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.11.2016 तक 13 वर्ष 03 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 04 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक का आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमीर सिंह (बन्दी संख्या-15708) पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान-शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2018/2500(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in